प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित होती है।

3. अध्याय III से VI में निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्कर्षों और लोक निर्माण कार्य एवं सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों में लेन-देन की लेखा परीक्षा, भण्डार एवं स्टॉक की लेखा परीक्षा तथा विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों और सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न अवलोकन में संबंध रखते हैं। सरकारी कम्पनियों की लेखाओं की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

4. राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकनों से संबंधित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत होते हैं।

5. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2001-02 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये जा सके, 2001-02 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी सम्मिलित किये गये हैं।